गरीब सेवा समिति

डॉ० भार्गव के पास कटरा बाँदा जिला बाँदा (उ०प्र०)

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : गरीब सेवा समिति
2. संस्था का पूरा पता : डॉ० भार्गव के पास कटरा बाँदा जिला बाँदा (उ०प्र०)
3. संस्था कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
4. संस्था का उद्देश्य : उद्देश्य निम्नलिखित होगे –

1. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचारगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद–विवाद, प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर आदि का आयोजन करना ।
2. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों स्वास्थ परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, ठुडकों, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नाबार्ड, अवार्ड, नौराह, ठूठा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्यहार महिला कल्याण एवं बाल कल्याण, निधि महिला निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, युवा एवं खेलकूद कार्यक्रम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद्, डी.आर.डी.ए., समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय परिहवन मंत्रालय आदि के सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।
3. शैक्षिक विकास हेतु बालक बालिकाओं के लिये प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक (महाविद्यालय) शिक्षण संस्थाओं स्थापना संचालित करना ।
4. समाज में निर्धन, निराश्रित, पिछडे अनु० जाति, जन जाति एवं विकलांग लोगो के सामाजिक, शैक्षिक विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
5. दहेज प्रथा, नशावन्दी, किशोरी बालिका संखाण एवं मोबाइल डिस्पेंसरी, आटसी.एच कैम्प, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि शिविर कैम्पों के माध्यम से नियम, नियंत्रित, पिछडे, अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों हेतु निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना ।
6. समाज में शिक्षा व प्रशिक्षण के उत्थान हेतु स्कूल, अल्प संख्यक विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, शासन की अनुमति के उपरांत छात्रावास निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था पुस्तकालय, संग्रहालय आदि स्थापना करवाना।
7. ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाने, आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना, समुचित मार्गदर्शन द्वारा शहरों पलायन प्रा रोकना, आत्म निर्भर बनाना तथा संगठित करना, ग्रामों के सभी वर्गों को जुटाकर उनके माध्यम से ग्रामोद्योग की स्थापना करवाना तथा इस दिशा में मार्ग दर्शन उपलब्ध करावा कर उनका अधिक से अधिक विकास करना उन्नति सुनिश्चित करना व उनके देश–विदेश में प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारना।
8. जड़ी बूटीयों का संचय एवं आयुर्वेदिक पर आधारित विभिन्न रस–रसायन भस्म और विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण तथा जन कल्याणार्थ निःशुल्क वितरण कराना।
9. जुल्म व अन्याय से पीड़ित जनों के लिये परित्यकता, बलात्कार पीड़ित बेरोजगार महिलाओं के परामर्श केन्द्र की स्थापना, डे–केयर सेन्टर, शार्ट स्टे होम और वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए अल्पावास शुल्क केन्द्रों की स्थापना करना।
10. सामाजिक, प्राकृतिक संसाधन, वानिकी एवं वन सम्पदा के संरक्षण एवं विकास हेतु कार्य करना मलिन बस्तियों एवं झुग्गी–झोपड़ियों के सुधार हेतु कार्य करना।

11. महिलाओं के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समस्त प्रकार की योजनाओं को संचालित कर नातृ शिशु कल्याण केन्द्र निःशुल्क तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी समस्त जानकारी देना एवं जागरूकता शिविर लगाना ।
12. ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े, वेरोजगार, निर्धन तथा अशिक्षित लोगों के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता के लाभ से पुरुष एवं महिलाओं को अवगत करना तथा उन्हें सहभागिता के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना। अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था कराकर उन्हें उपचार दिलाना।
14. नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन वस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, वाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलाना व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय समय पर जगरूकता शिविरों का आयोजन करना।
15. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा दोई आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था या पानी की समस्या हेतु हैण्ड पम्प, टंकी लगवाना क्षेत्र को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क–खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना।
16. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना।
17. कृषकों के लिये हर्बल खेती को उपजाऊ बनाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण देना तथा उद्यानिक विभाग के सहयोग से कृषकों को कृषि की नई तकनीक उत्पादन एवं अनुसंधानों की जानकारी देना व विपणन की व्यवस्था करना। खाद्य एवं फल प्रसंस्करण संरक्षण के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित करना।
18. मशरूम उत्पादन व उसके प्रशिक्षण, पत्तल बनाना, रस्सी बनाना, पापड़ बनाना, अचार, जैम, जेली, मुख्य अनाज दाल प्रशोधन पैकिंग आदि की ग्राम स्तर पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाना ।
19. ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना। ग्रामीण उद्यमिता संवर्धन के लिए नव–युवकों एवं नव–युवतियों सहित काम करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता सारिणी सृजित करना तथा मानव संसाधन विकास एवं क्षेत्रीय विकास की दिशा में विकेन्द्रित आयोजन में जिला योजना हेतु ग्राम, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, क्षेत्रीय सहयोग उपलब्ध करना ।
20. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना एवं संरक्षण प्रदान करना। छात्र–छात्राओं को आधुनिकतम वैज्ञानिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना। निर्बल एवं अनुसूचित पात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
21. जन मानस में पर्यावरण संखाण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नवीनतम् सामुग्री उपलब्ध कराना, ग्रामीण समाज को प्रादेशिक एवं अखिल भारतीय डेयरी विकास संगठनों के सहयोग से श्वेतक्रांति के लिये तैयार करना।
22. खेल की साखिने बालों में उसकी अभिरूचि को जागृत कर उन्हें खिलाड़ी बनने में प्रोत्साहित करना तथा प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सम्मिलित होने योग्य निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।
23. साक्षरता–प्रसार, महिला–साक्षरता के प्रति समर्पित भावना से कार्यक्रम के रूप में अनौपचारिक शिक्षा और उद्यम के सामान्तर साक्षरता प्रसार करना।
24. ग्रामीण एवं शहरी के लोगों में निमनोपवार, पशु–पक्षी समाज से मानव सम्बन्ध, जड़ी बूटी का पारस्परिक उपयोग एक्यूप्रेशर पद्धति की चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराना ताकि निर्धन चूल्हा व वायोगैस संयंत्र का जलावन के ईधन के रूप में उपयोग को प्रोत्साहित करना।

25. मेघावी छात्र–छात्राओं को नवीनतम वैज्ञानिक स्तर की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा ग्रामीण विकास में मीडिया की भूमिका विषयों पर शोध कार्य में सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराना व व्यवसायिक शिक्षा एवं निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा रोजगार के अन्य साधनों का सृजन करके रोजगार उपलब्ध कराना।
26. महिलाओं एवं बच्चों व सर्वागीण विकास कायकमों जैसे केच, बालवाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों, वाल विकास केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों एवं प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों शविद्यालयों महाविद्यालयों शिक्षा केन्द्रों 2/15 की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
27. जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ सुधार एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी शिविरों का आयोजन कर जागरूकता पैदा करना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशावन्दी निर्वसन केन्द्र दहेज प्रथा, एड्स, आगजनी, बाद, सूखा व खादी ग्रामोद्योग तथा उनसे सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों मे सहयोग करना ।
28. वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता एवं युवकों में आत्म निर्भरता उत्पन्न करना तथा उनके साहसिक भावनाओं को बढ़ाने हेतु खेलकूद, युवा–मेला, विचार गोष्ठी, युवा सम्मेलन, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, पर्वतीय पदारोहण 'ट्रेकिंग' कार्यक्रमों तथा श्रम शिविरों का आयोजन सरकार के माध्यम से सृजित करना।
29. कुटीर उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादन एवं प्रदर्शन आयोजित करना एवं प्रोत्साहन देना तथा जन सामान्य में खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का प्रचार करना तथा उनके प्रति विशेष रूप से श्रद्धा उत्पन्न करना।
30. समस्त समाज के विकास हेतु समस्त समाज एवं जनता में जागृति कर प्राचीन ऋषियों, वेद, पुराणों तथा धार्मिक ग्रन्थों के उपदेशानुसार समाज को संस्कारित करना ।
31. संस्कारित समाज के युवकों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में निष्ठापूर्वक कार्य कर समाज तथा राष्ट्र की उन्नति करना।
32. समाज में व्याप्त कुरीतियों बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, विवाह में धन का अपव्यय, मदिरा सेवन, युवक, युवतियों द्वारा शार्दी में नृत्य आदि कुप्रथाओं की कम कर समाप्त करना।
33. युवक, युवतियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर धर्म परिवार समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से कार्य करने की प्रेरणा देना।
34. देवभाषा संस्कृत का ज्ञान कराकर वेदों का अध्ययन, ज्योतिष, पूँजा, अर्चना, संध्या चंदन, पद्धति आदि ब्राह्मणाोचित कार्यो को करना तथा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना ।
35. समय समय पर विचार गोष्ठियों, सम्मेलन आदि का प्रवन्ध कर समाज एवं बालकों में संस्कृति धर्म एवं राष्ट्र के प्रति तथा सामाजिक कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत करना।
36. वाद विवाद प्रतियोगिताओं द्वारा बालक बालिकाओं, युवक युवतियों द्वारा उनके विचारों से अवगत होना तथा उन्हें विद्वान मनीषियों द्वारा कर्मोचित उपदेश देना।
37. देव भाषा के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना जिससे समाज के सभी वर्गों को उच्च तकनीकी कम्प्यूटर आदि की शिक्षा ग्रहण कर समाज व राष्ट्र की उन्नति में सहयोग प्रदान करना ।
38. संस्था द्वारा समय समय पर शिविरों के माध्यम से योग्य चिकित्सकों द्वारा समाज व अन्य बालक, बालिकाओं, स्त्री, पुरुषों के रोंगो की निःशुल्क जांच कराकर समाज व राष्ट्र की सेवा करना।
39. युवक, युवतियों के परिचित सम्मेलन की व्यवस्था करना, सामूहिक आदर्श विवाहों का आयोजन करना तथा विवाह शादियों में आय व्यय, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों पर रोक लगाकर समाप्त करना ।
40. समिति के माध्यम से समय समय पर पूँजा, अर्चना, भजन, कीर्तन, रामायण, सतसंग आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे लोगों में दया धर्म संस्कृति एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना का विकास हो सकें ।

41. स्वास्थ्य के प्रति लोगो को जागरूक करने के लिये योग शिविरों का आयोजन करना एवं स्वास्थ्य एवं योग से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन कराना एवं जन सामान्य में ऐसे साहित्य का वितरण कराना।
42. ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु अस्पतालों की स्थापना कर संचालित करना।
43. ग्रामण बालक एवं बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।
44. संस्था द्वारा व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्त्तव्य :

अध्यक्षः

1. समस्त प्रकार की बैठक की अध्यक्षता करना।
2. संख्या के हितार्थ कोई भी कार्य जो आम सभा से 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो करना।
3. संस्था के विकास हेतु कार्य करना एवं प्रबंधक के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

उपाध्यक्षः

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा बताये गये कार्यों को करना व संख्या के विकास कार्यों में सहयोग करना ।

प्रबंधकः

1. संस्था के बाहर जाने वाले कागजात तथा रिकार्ड का सत्यापन एवं हस्ताक्षरित करना।
2. संस्था की पूंजी का प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा पास नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में रखना व संस्था में प्राप्त चन्दा, सदस्यता शुल्क, अनुदान प्राप्त करना ।
3. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिए गये निर्णयों पर अपने विवेक द्वारा विचार कर अन्तिम रूप से निर्णय देना और संस्था की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति के नियमों को कार्यान्वित करना, पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत देना
5. समस्त बिल बाउवरों पर हस्ताक्षर करना, संस्था के सभी अभिलेख व प्रपत्र अपने पास रखना।
6. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि करना ।
7. संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की रक्षा करना व उस पर नियंत्रण रखना।

उपप्रबंधक :

1. प्रबंधक की अनुपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग करना व प्रबंधक के द्वारा बताये गये कार्यों में पूर्ण सहयोग देना।

कोषाध्यक्षः

1. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. दान, अनुदान चन्दा प्राप्त करना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।

आय–व्यय निरीक्षकः

संस्था के सम्पूर्ण आय–व्यय को आडिट करना व अपनी आडिट रिपोर्ट को साधारण सभा में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना व आडिट प्रपत्रों को सुरक्षित रखना व संस्था के विकास हेतु योगदान देना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः

संख्या के नियमों व विनियमों में संशोधन साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

12. संस्था का कोष (लेखा प्रणाली):

1. संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, खाते का संचालन प्रबंधक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

13. संख्या के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

1. संख्या के आय व्यय का लेखापरीक्षण (आडिट) प्रतिवर्ष किया जायेगा जो संख्या में या किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में साधारण सभा में प्रस्तुत की जायेगी ।

14. संख्या द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संख्या के प्रबंधक को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा।

15. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. एजेण्ट (सूचना) रजिस्टर, 4. स्टाक रजिस्टर, 5. कैश बुक, 6. रसीद बुक आदि होंगे व आवश्यकतानुसार बनाये भी जा सकेंगे।

1.6. संख्या का विघटनः

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार ही होगी ।

नियमावली

साधारण सभा की बैठकों का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा परन्तु व्यगत बैठकों के लिए कोरमका

साधारण सभा की वार्षिक बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक अप्ताह पूर्व दो जाना आवश्यक है, सूचना लिखित, यू पी सी डाक द्वारा दी जा सकेगी।

वन्दन नहीं होगा व एजेण्डा न बदला जाये। व. विशेष वार्षिक अधिवेशनः साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा, जिसकी तिथि व समय प्रवन्धकारिणी समिति ही निश्चित

करेगी ।

और महासभा के कर्तव्य/अधिकाररू

1. साधारण सभा अपने प्रवन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी।

2. संस्था की भीति निर्धारण करना, नियमों विनियमों में संशोधन करना । 3. प्रवन्धकारिणी समिति में हुऐ रिक्त स्थान की पूर्ति करना ।

4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब (बजट) का अनुमोदन करना ।

5. कार्य विशेष के लिए उपसमितियों का गठन करना तथा अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना।

6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी बैंक, ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, डाकखाना इत्यादि एवं वित्तीय संस्थान, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार आदि से दान/अनुदान /ऋण ष्आर्थिक सहायताष प्राप्त करना संस्था की सम्पत्तियों को गिरवी रखना व अन्य सदस्यों की जमानत स्वीकार करना । 9. प्रबन्धकारिणी समिति

अ. गठनः

प्रबंधकारिणी समिति का गठन आजीवन सदस्यों ही द्वारा होगा पद स्मृति पत्र के अनुसार होगे। ब. बैठक (सामान्य/विशेष) रू

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार आवश्यक हुआ करेगी व आकस्मिक बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी ॥ [सूचना अवधिः]

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचना लिखित दी जायेगी।

ब. गणपूर्तिः

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम कुल संख्या 2/3 बहुमत से होगा, सामित बैठकों के लिए कोरम की बाध्यता न होगी बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये। य. रिक्त स्थान की पूर्ति आदिरू

प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए प्रबन्धकारिणी

समिति साधारण सभा के सदस्यों से चयन/नामित कर करेगी

स. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्य
1. संख्या के विरुद्ध कार्यवाहियों में लिप्त संस्था के कर्मचारियों व सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक/ प्रस्ताव की कार्यवाही करना।

2. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी ग्रामोद्योग आयोग, बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागों से धर्मार्थ आर्थिक सहायताएँ प्राप्त करना ।

3. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन आदि प्राप्त करना 4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी बैंक, ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, डाकखाना इत्यादि एवं वित्तीय संस्थान, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार आदि से दान/ अनुदान /ऋण ष्आर्थिक सहायताष प्राप्त करना संस्था की सम्पत्तियों को गिरवी रखना व अन्य सदस्यों की जमानत स्वीकार करना ।

द. कार्यकालः प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

नियमावली

बीमा योजना

1. संख्या का नामः गरीब सेवा समिति
2. संस्था का पूरा पताः डॉ० भार्गव के पास कटरा बाँदा जिला बाँदा (उ0प्र0) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
3. संख्या कार्यक्षेत्र

4. संस्था के उद्देश्यः उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग कोई भी वयस्क व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यता हेतु प्रकन्यकारिणी समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के 6 माह बाद ही मतदान में भाग लेने का अधिकारी होगा ।

सदस्यों के वर्ग निम्नलिखित होंगें

अ. संचालक सदस्य
जो व्यक्ति इस संख्या को एक मुक्त एक बार मुवलिग 2,00000/ रुपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति संख्या को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का संचालक सदस्य कहलायेगा ।

4. आजीवन सदस्यः

जो व्यक्ति इस संत्या को एक मुक्त एक बार मुवलिंग 3,00000/ रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा द्य

5. एस.एस. सामान्य सदस्यः

जो व्यक्ति संस्था को प्रतिवर्ष 50,000/ वह संख्या का सामान्य सदस्य होगा । रुपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति दान स्वरूप देगा

8. विशिष्ट सदस्य

जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हो जिन्हें संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति प्राप्त कर नामित करेगी वह व्यक्ति संख्या के विशिष्ट सदस्य होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी होंगे तथा न ही सदस्यता शुल्क के रूप में कोई धनराशि ही अदा करेंगे ।

5. सदस्यता की समाप्तिः

संस्था की सदस्यता की समाप्ति निम्नकारणों में से किसी एक कारण के होने पर की जा सकेगी।
1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर,
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर
3. सदस्यता शुल्क अदा न करने पर
4. प्रबन्यसमिति को अपना त्याग पत्र देने पर
5. न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर
6. लगातार विना सूचना के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
7. संस्था के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर
8. संख्या के अंग ।

अ. साधारण सभा,

वारिनी समिति,

8. साधारण सभा

अ. गठनः साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा।

ब. बैठकः साधारण सभा की वर्ष में दो बैठक अनिवार्य होगी, विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर कभी बुलाई जा सकेगी ।

———————————